

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु
क्रमांक:-LADCS/2025/1

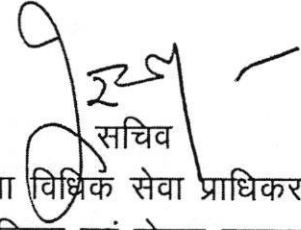
दिनांक :- 26/5/2025

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, चूरु हेतु निम्न पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17 (10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को समेकित पारिश्रमिक आधार पर नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक
1	ऑफिस असिस्टेंट	3	14,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	14,000/-
3	ऑफिस पिओन	3	11,000/-
	कुल योग	7	

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 06.06.2025 को कार्यालय समय दोपहर 1:00 बजे तक जरिये डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

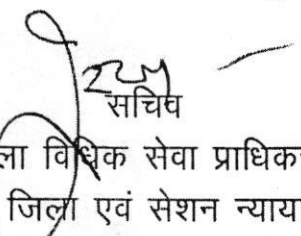

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चूरु

क्रमांक : जिविसेप्रा/2616-2623

दिनांक : 26/5/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त।
3. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका जिला चूरु।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, चूरु को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. जिला नियोजन अधिकारी, चूरु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरु को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चूरु

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु

(राज्य सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को राजस्व में वार्षिक पुनर्नियुक्ति सेवार्य केम को
सिने)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता भय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का दृष्ट्युक्त है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रमाण में मिश्र बाल्या 1 की 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, को सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक यमनयन्त्र के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता को इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला सम्बन्धित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील